AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/9/2020	कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कोर्ट कार्यवाही स्थगित रखी गई थी जिसे राज्य सरकार के मार्गदर्शन के बाद पुनः जारी की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखाण्ड अधिकारी, बावड़ी	
16/10/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 03/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
03/11/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील वादी ने बहस अंतिम हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने उक्त वाद पत्र में नो इंन्सट्रक्सन प्लीड कर उक्त कार्यवाही से अपने आप को अलग किया। अतः पत्रावली वास्ते अंतिम बहस दिनांक 10/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	No Instruction On Behalf Adv. 3/11/20
10/11/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गण उपस्थित। प्रक्रिया पूर्ण होने एवं पत्रावली एक पक्षीय बहस में एवं आदेशार्थ होने से अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक एवं गहन अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता वादी गण की बहस पर मनन करने के बाद वाद वादी गण को स्वीकार कर अंतिम डिक्री	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...

जारी की जाती है। अतः आदेश जारी हो।

आदेश

वाद वादी गण स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लबेरा कलां के खसरा नं. 796 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि वादी गण एवं प्रतिवादी गण की संयुक्त खातेदारी कब्जासुदा कृषि भूमि का तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त 'By mints and Bounds के' बंटवारा प्रस्ताव ~~अनुसार~~ स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारान के खसरे का अलग-2 बटे नम्बर कायम कर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे एवं खातेदारान के रास्ता बाबत समस्या न रहे, ये भी सुनिश्चित किया जावे। विभाजन प्रस्ताव इस निर्णय एवं अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बावड़ी को इस आशय की तहरीर, पालनार्थ जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी